न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी — मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :— 1 / 2016 दायर तारीख :— 04.01.2016

1. मोहन पुत्र गिरधारी जाति जाट नि0 हबसपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादी

1. मालचन्द पुत्र मदन[illegible] जाति जाट नि0 हबसपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
2. केसरदेवी पत्नि श्योजी
3. रामप्रताप पुत्र श्योजी
4. सुमन पुत्री श्योजी
5. सुमित्रा पुत्री श्योजी
6. सरजूदेवी पत्नि गिरधारी
7. लाडादेवी पुत्री गिरधारी
8. नोसरदेवी पुत्री गिरधारी
9. नन्दूदेवी पुत्री गिरधारी

समस्त जाति जाट नि0 हबसपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

10. यूको बैंक फुलेरा जरिये प्रबन्धक
11. एस0बी0आई0 बैंक शाखा सांभरलेक जरिये प्रबन्धक
12. तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर राजस्थान
13. सब रजिस्टार सांभरलेक तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक
14. रतनलाल बागडवा पुत्र बोदूराम जाति जाट नि0 खटीकों का मोहल्ला ग्राम हबसपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री जगवीर सेंवदा, अधिवक्ता वादी

श्री सुरेश कुमार परिहार, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 9

श्री सुरेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता, प्रतिवादी सं0 1, 14

पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 27/3/2019

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खं0नं0 424 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खं0नं0 426 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खं0नं0 427 रकबा 1 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा वाकै ग्राम हबसपुरा प0ह0 हबसपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 लगा0 5 का संयुक्त 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हिस्सा है तथा खं0नं0 425 रकबा 2

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

किस्म गैरमुमकिन की ग्राम हबसपुरा तह0 फुलेरा में स्थित है उसमें वादी का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 का संयुक्त रूप से 5/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 का 1/2 हिस्सा है। वादी व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है प्रतिवादी सं0 2 के पति व प्रतिवादी सं0 3 लगा0 5 के पिता श्योजी का निधन हो चुका है उक्त आराजीयात को वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 से काबिज होकर अपने अपने हिस्सें की काश्त करते आ रहे है तथा उक्त आराजीयात का संयुक्त रूप से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। वाद पत्र के मद सं0 1 में वर्णित भूमि का विधिक रूप से विभाजन नहीं हो रखा है तथा उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात है तथा राजस्व रिकोर्ड मे भी उक्त भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज की गई है। इस प्रकार उक्त भूमि पक्षकारान की अविभाजित आराजीयात है। जिसमें प्रत्येक खातेदार का उक्त आराजीयात में प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त है तथा अविभाजित आराजी पर राजस्व काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक इंच पर प्रत्येक काश्तकार का कब्जा काश्त निहित होता है। जिसमें किसी भी काश्तकार को बिना विधिक विभाजन करवाये हिस्सा विशेष पर कब्जा करने एवं हिस्सा विशेष को विक्रय करने व मनचाहे स्थान पर दीगर को काबिज करवानें का कोई अधिकार नहीं होता है। वादी व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 ने प्रतिवादी सं0 1 से कई बार उक्त आराजीयात का विधिक रूप से बाई मिट्स एण्ड बोन्डस (अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी) के सिद्वात के आधार पर वाद पत्र के मद सं0 1 में वर्णित आराजीयात का अपने हिस्सेनुसार विभाजन करवाने को कई बार कहा परन्तु प्रतिवादी सं0 1 हमेशा कोई ना कोई बहाना करते हुये टालमटोल करता आया है ओर आश्वासन देता रहा कि जब भी गांव में राजस्व केम्प लगेगा तब विभाजन करवा लेगे। परन्तु जब भी गांव में राजस्व केम्प लगा प्रतिवादी सं0 1 ने विभाजन नहीं करवाया ओर टालमटोल करते हुये आश्वासन ही देता रहा जिसके कारण वादी व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 प्रतिवादी सं0 1 के आश्वासन में चलते आ रहे है जिसके कारण उक्त भूमि का विभाजन आजतक नहीं हो पाया है। आजकल जमीनों के भाव बढ़ जाने से प्रतिवादी सं0 1 की नियत में फितुर आया हुआ है जिसके कारण प्रतिवादी सं0 1 वादी व प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 से मनमुटाव रखने लगा है तथा वादग्रस्त आराजी में मनचाही भूमि पर कब्जा करना चाहता है तथा अच्छी किस्म की जमीन अपने हिस्सें में लेकर दीगर व्यक्तियों को बेचान करने पर आमदा है जबकि प्रतिवादी सं0 1 को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी प्रतिवादी सं0 1 दिनांक 15.12.15 को वादग्रस्त भूमि पर कुछ अजनबी व्यक्तियों को वादग्रस्त भूमि पर लेकर आया ओर मनचाही जगह की भूमि एवं सड़क से लगती हुई जमीन को अपने हिस्सें की बताते हुये बेचान करने का सौदा करने लगा तब वादी ने प्रतिवादी सं0 1 को ऐसा करने से मना किया ओर विधिक रूप से बाई मिट्स एण्ड बोन्डस/अच्छी में से अच्छी व बुरी मे से बुरी के सिद्वात के आधार पर भूमि का विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादी सं0 1 इंकार हो गया तथा वादग्रस्त भूमि पर मनचाही जगह सड़क से लगती हुई जमीन पर कब्जा कर उसका बेचान कर दीगर व्यक्तियों को कब्जा करवानें की धमकी दी इसलिए यह वाद बाबत् विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादी पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाबदावा पेश किया। पैराकार सरकार उपस्थित।

3. प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब रहा कि वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण अपनी अपनी आराजी को हिस्से अनुसार अलहदा काश्त करते है। वादी व अन्य प्रतिवादी ने

Scanned by CamScanner

अपने हिस्सें की भूमि का पुख्ता मकानात बना रखे है। 1/2 हिस्सें पर प्रतिवादी सं0 1 एक तरफ व अन्य तरफ वादी व अन्य प्रतिवादीगण निवास व काश्त करते आ रहे है। फिर वादी का आराजी का विभाजन नहीं होने की बात करना सरासर गलत है साथ ही वादी कोई अनुत्तोष व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी आराजी का बेचान रतनलाल बांगडवा पुत्र श्री बोदूराम जाति जाट नि0 खटीकों का मोहल्ला ग्राम हबसपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा कर दिया है। इस प्रकार उचित पक्षकार कायम नहीं किये जाने से वाद खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी ने स्वंय आराजी पर पुख्ता मकान का कार्य प्रारम्भ कर रखा है जिसे रोकने हेतु वादी को भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक है।

4. प्रतिवादी संख्या 14 का जवाब रहा कि वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण अपनी अपनी आराजी को हिस्से अनुसार अलहदा काश्त करते है। वादी व अन्य प्रतिवादी ने अपने हिस्सें की भूमि का पुख्ता मकानात बना रखे है। 1/2 हिस्सें पर प्रतिवादी सं0 1 एक तरफ व अन्य तरफ वादी व अन्य प्रतिवादीगण निवास व काश्त करते आ रहे है। फिर वादी का आराजी का विभाजन नहीं होने की बात करना सरासर गलत है साथ ही वादी कोई अनुतोष व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी आराजी का बेचान रतनलाल बांगडवा पुत्र श्री बोदूराम जाति जाट नि0 खटीकों का मोहल्ला ग्राम हबसपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा कर दिया है। इस प्रकार उचित पक्षकार कायम नहीं किये जाने से वाद खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी ने स्वंय आराजी पर पुख्ता मकान का कार्य प्रारम्भ कर रखा है जिसे रोकने हेतु वादी को भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक है। प्रतिवादी सं0 14 एक बोनाफाईड परचेजर है तथा उसी गांव का निवासी है, जिसने प्रतिवादी सं0 1 का आराजी पर एक तरफ हमेशा से देखा है ओर आराजी का मौखिक विभाजन होने के कारण ही आराजी को क्रय किया है आराजी का विभाजन नहीं होने की बात सरासर गलत है।

5. प्रतिवादी सं0 2 लगा0 6 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम रहा कि वादग्रस्त आराजी वाकै ग्राम हबसपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के नाम जो 1/2 हिस्सा दर्ज किया हुआ है वह हिस्सा मृतक श्योजी पुत्र गिरधारी के द्वारा जरिये मौखिक बेचान के अरसा 10 वर्ष पूर्व खरीद कर लिया था क्योकिं प्रतिवादी सं0 1 के 1/2 हिस्सें पर शुरू से ही पहले श्योजी के पिता गिरधारी का कब्जा काश्त था उसके पश्चात् श्योजी पुत्र गिरधारी का काबिज काश्त चला आ रहा है केवल मात्र राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादी सं0 1 के उक्त आराजीयात 1/2 हिस्सें में दर्ज थी लेकिन प्रतिवादी सं0 1 ने कभी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त नहीं की थी इसलिए प्रतिवादी सं0 1 से अरसा 10 वर्ष पूर्व गवाहान श्रवण पुत्र लक्ष्मण जाति जाट नि0 सोलावता व सत्यनारायण पुत्र रामकरण जाति जाट नि0 सोलावता की उपस्थिति में मौखिक रूप से क्रय की थी जिसकी प्रतिफल की राशि 15,00,000 रू0 प्रतिवादी सं0 1 ने मृतक श्योजी पुत्र गिरधारी से नकद प्राप्त कर ली थी इसलिए उक्त भूमि से प्रतिवादी सं0 1 का उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध नहीं है बल्कि प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 ही प्रतिवादी सं0 1 के 1/2 हिस्सें के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं0 1 से उक्त आराजीयात खरीद की गई तब प्रतिवादी सं0 1 ने मृतक श्योजी पुत्र गिरधारी को आश्वस्त किया था कि उक्त आराजीयात की रजिस्टरी श्योजी पुत्र गिरधारी के करवा दूंगा लेकिन इसी दौरान श्योजी की मृत्यु हो जाने के बाद प्रतिवादी सं0 1 की नियत खराब हो गई ओर उसने अपने नाम का नाजायज फायदा उठाते हुये उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 14 रतनलाल

Scanned by CamScanner

बागंडवा पुत्र बोदूराम जाति जाट नि0 खटीकों का मोहल्ला हबसपुरा को बेचान कर दी जबकि वर्तमान में कब्जा इस व्यक्ति का न होकर प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 का प्रतिवादी सं0 1 के 1/2 हिस्सें पर चला आ रहा है ओर भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। प्रतिवादी सं0 2 लगा0 6 मृतक श्योजी पुत्र गिरधारी के कानूनी वारिसान व उत्तराधिकारी है जो श्योजी पुत्र गिरधारी की राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हिस्सें व प्रतिवादी सं0 1 से खरीद किये गये 1/2 हिस्सें पर वादी के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी द्वारा पेश किये जाने के पश्चात् प्रतिवादी सं0 1 ने अपने नाम का गलत फायदा उठाते हुये उक्त भूमि में 1/2 हिस्सें का बेचान कर दिया लेकिन विक्रेता प्रतिवादी सं0 14 को कोई कब्जा नहीं दिया गया जिसके पश्चात् वादी व प्रतिवादी सं0 1 एवं प्रतिवादी सं0 14 तीनो ने दुरभि संधि करते हुये उक्त वाद में राजीनामा पेश करना चाहते है ओर प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 को उनके हक व अधिकारों से वंचित करना चाहते है इसी आशय से वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 14 दिनांक 13.05.16 को वादग्रस्त आराजीयात पर आये ओर प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 को प्रतिवादी सं0 1 के 1/2 हिस्सें की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी ओर वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 14 ने प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 को धमकी दी कि राजस्व अदालत/केम्प कोर्ट में उक्त दावें में राजीनामा पेश करके जमीन प्रतिवादी सं0 14 को कब्जा करवा देगे इसलिए प्रतिवादी सं0 2 लगा0 6 को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह काउन्टर क्लेम विरूद्व वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 14 पेश करना आवश्यक हुआ तथा प्रतिवादी सं0 14 को जो विक्रय किया गया है वह प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 के विरूद्व बातिल व बेअसर होने से वह शून्य है।

6. प्रतिवादी सं0 2 लगा0 6 की ओर से पेश काउन्टर क्लेम का जवाब प्रतिवादी सं0 1 व 14 द्वारा पेश किया जिसमें अंकित किया कि प्रतिवादी सं0 2 लगा0 6 द्वारा पेश काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी सं0 14 की तरफ से प्रा0पत्र आर्डर 7 रूल 11 व 151 जा0दी0 का पेशा किया। उक्त प्रा0पत्र का जवाब पेश न करने पर जवाब बन्द किया गया। वकील पक्षकारान की उक्त प्रा0पत्र पर बहस सुनी जाकर दिनांक 30.08.18 को प्रा0पत्र आर्डर 7 रूल 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर काउन्टर क्लेम खारिज किया गया।

7. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटोप्रति जमाबन्दी संवत् 2070–2073 पेश किये गये।

8. प्रकरण दिनांक 26.02.19 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा तहसीलदार फुलेरा से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की गई।

9. बहस उपस्थित उभय पक्षों को सुना गया। वकील वादी अपनी बहस में उपस्थित रहा तथा वकील प्रतिवादी सं0 1 व 14 अपनी बहस में उपस्थित रहा तथा वकील प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 बहस के समय अनुपस्थित रहा।

10. उपरोक्त वाद में बहस सुनने के पश्चात् आडरशीट लिखी जाकर पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 27.03.19 को रखी गई। बहस पूर्ण होने के पश्चात् एवं निर्णय सुनाये जाने के पूर्व वकील वादी ने एक प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा विड्रों प्रा0पत्र के आधार पर उक्त वाद खारिज करवाना चाहता है उपरोक्त प्रा0पत्र पर वकील वादी को सुना गया। परन्तु वाद में अन्तिम बहस सुनी जा चुकी है तथा उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री उपरान्त नक्शें कुर्रेजात भी प्राप्त हो चुके है इसलिए वाद का अन्तिम निस्तारण किया जाना आवश्यक है इसलिए वादी का प्रा0पत्र खारिज किया जाता है तथा वकील प्रतिवादी सं0 2

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

लगा0 9 ने एक प्रा0पत्र पेश कर नक्शें कुर्रेजात पर आपति प्रकट की है तथा अपने प्रा0पत्र में अंकित किया कि उक्त पत्रावली में श्रीमान् द्वारा दिनांक 26.02.19 को प्राथमिक डिक्री वास्तविक कब्जें को ध्यान में रखते हुये नक्शे कुर्रेजात बनाकर पेश करने के लिए आदेश तहसीलदार फुलेरा को दिये गये थे परन्तु श्रीमान् के आदेशों की पालना तहसीलदार फुलेरा व पटवारी हल्का हबसपुरा नहीं करते हुये इसके विपरित जाकर नक्शें कुर्रेजात बनाये है क्योकि प्रतिवादी सं0 14 रतनलाल बांगडवा का उपरोक्त आराजीयात पर कोई कब्जा काश्त नहीं है बल्कि तहसीलदार फुलेरा व पटवारी हल्का हबसपुरा मौका स्थल पर गये बिना ही बिना मौका देखे ही इसके विपरित जाकर उक्त व्यक्ति प्रतिवादी सं0 14 का कब्जा बताते हुये नक्शें कुर्रेजात तैयार किये गये है जो कि कतई गलत रूप से तैयार करते हुये पेश किये गये है। उक्त प्रा0पत्र पर वकील प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 को सुना गया। वकील प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 वाद की अन्तिम बहस के समय भी अनुपस्थित था तथा वाद में नक्शें कुर्रेजात भी दिनांक 19.03.18 को प्राप्त हो चुके थे परन्तु वकील प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 द्वारा नक्शें कुर्रेजात पर कोई आपति प्रकट नहीं की थी तथा अन्तिम बहस सुनने के पश्चात् वकील प्रतिवादी सं0 2 लगा0 9 ने उक्त आपति प्रा0पत्र पेश किया है जो खारिज किया जाता है। प्रतिवादी सं0 14 ने भी दावें में बहस के उपरान्त एवं निर्णय से पूर्व एक प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 14 से कायम है प्रकरण अन्तिम स्टेज पर है प्रकरण में नक्शें कुर्रेजात आ चुके है प्रकरण में प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 14 कायम रहने से दावें पर विपरित असर पड़ रहा है क्योकिं प्रतिवादी प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभावी पैरवी नहीं कर पा रहा है ओर वादी वाद के निस्तारण हेत सजग नहीं है इसलिए उक्त प्रकरण में प्रतिवादी सं0 14 को वादी के रूप में पक्षान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी प्रतिवादी सं0 14 को वादी के रूप में पक्षान्तरित किये जाने से वाद पर किसी प्रकार का कोई विपरित असर नहीं पड़ेगा ओर वाद शीघ्र निस्तारित हो सकेगा। उक्त प्रा0पत्र पर वकील प्रतिवादी सं0 14 को सुना गया। उपरोक्त प्रकरण में नक्शें कुर्रेजात प्राप्त हो चुके है तथा प्रकरण में बहस सुनी जा चुकी है तथा प्रकरण निर्णय में है इस कारण प्रतिवादी सं0 14 को वादी के रूप में पक्षान्तरित नहीं किया जा सकता इसलिए प्रा0पत्र प्रतिवादी सं0 14 खारिज किया जाता है।

11. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। मुताबिक वकील पक्षकारान की ओर से नक्शें कुरेजात पर कोई आपति व्यक्त न करते हुए मुताबिक नक्शें कुरेजात वाद अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है पत्रावली एंव नक्शें कुरेजात का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। मनन् उपरान्त यह न्यायालय वादी का वाद मुताबिक नक्शें कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है। इसी अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिकी किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
सीमर टोक

Scanned by CamScanner

वाकै ग्राम हबसपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	मोहन पु0 गिरधारी जाति जाट सा0देह0 राहिन यूकों बैंक शाखा फुलेरा मुर्तहीन	427 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा
2	केसरदेवी पत्नि श्योजी रामप्रताप पु0 श्योजी हि0 1/2 राहिन यूकों बैंक शाखा फुलेरा मुर्तहीन सुमन, सुमित्रा पुत्रीया श्योजी हि0 1/2 जाति जाट सा0देह0	901/427 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा 902/426 रकबा 11 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 17 विस्वा
3	रतनलाल बांगड़वा पुत्र बोदूराम कौम जाट सा0देह0	424 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा 426 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा 903/427 रकबा 18 विस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 15 विस्वा

खं0नं0 425 रकबा 2 विस्वा गै0मु0 चाह है जो ग्राम हसबसपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है उक्त खं0नं0 समस्त खातेदारों के शामलाती में रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

अतः तहसीलदार फुलेरा को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 27/3/19 **को मजमा–ए–आम में सुनाया गया।**

(मुकेश कुमार मुंड)
उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner